

The Manager
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street MUMBAI – 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
EXCHANGE PLAZA, Bandra-Kurla
Complex, Bandra [E], MUMBAI 400051

प्रिय महोदय/ Dear Sir,

Sub : 14th Annual General Meeting of the Bank – 26.07.2016

Ref : Our Letter MD&CEO SD 1562 1563 11 12 2016, dated 15.06.2016

We had, vide the above referred letter, informed the Dates of Book Closure, Internal Cut-Off Date for the purpose of Election of Shareholder Directors, e-Voting Cut-Off Date and the Date of 14th Annual General Meeting of the Bank.

In this connection, we inform that the 14th Annual General Meeting of the Bank will be held on Tuesday, the 26th July, 2016 at 10.30 AM at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001.

We attach the Notice of the 14th Annual General Meeting of the Bank for placing on the website/s of the Exchange/s.

धन्यवाद / Thanking you,

भवदीय/ Yours faithfully


बी नगेशबाबू / B NAGESH BABU
कंपनी सचिव / COMPANY SECRETARY

सचिवीय विभाग

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिवालय
प्रधान कार्यालय

112, जे सी रोड बेंगलूर - 560002

Secretarial Department

MD & CEO's Secretariat

Head Office

112 J C Road, Bangalore - 560002

E-Mail : hosecretarial@canarabank.com

T +91 80 22100250

F +91 80 22248831

www.canarabank.com

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार, 26 2016 को प्रातः 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समापन 31 मार्च, 2016 हेतु लाभ व हानि लेखा, बैलेंस शीट व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा कवर अवधि हेतु बैंक की कार्यवाही व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन के बिना, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि" बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबंधित प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Tuesday, the 26 July 2016 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative

जिनके अधीन अधिमान श्रेयों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियाँ जो ईक्विटी में अंतरण के लिए सक्षम हो, ₹ 2000 करोड़ तक (यथा बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा निर्धारितानुसार) जो वर्तमान ₹ 542.99 करोड़ की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की निर्धारित प्राधिकृत पूंजी सीमा ₹ 3000 करोड़ के भीतर होगी या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी"

"संकल्प लिया जाता है कि" कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हमीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली

or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, upto ₹ 2000 Crore (as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ 542.99 crore will be within ₹3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, **whether at a discount or premium to the market price**, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and /or other advisors or otherwise on

और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“संकल्प लिया जाता है कि” कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां, जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

“संकल्प लिया जाता है कि” कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"संकल्प लिया जाता है कि" अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"संकल्प लिया जाता है कि" जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बँड्स) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"संकल्प लिया जाता है कि" किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करें जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"संकल्प लिया जाता है कि" बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से, जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकॉर्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" अधिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"संकल्प लिया जाता है कि" इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

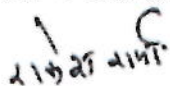
"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"संकल्प लिया जाता है कि" निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

3. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, के साथ पठित डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं एफ. सं. 16/83/2013-बीओ-आई दिनांक 03.09.2013 व एफ. सं. 16/51/2012 - बीओ-आई, दिनांक 28.04.2015 के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केन्द्र सरकार से अन्य, बैंक के शेयरधारकों में से 3 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए

"संकल्प लिया जाता है कि" भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना व भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के तहत निहित योजना, विनियमों और अधिसूचनाओं के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2016 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात् 26 जुलाई, 2019) कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा



राकेश शर्मा

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूर

तिथि : 03-06-2016

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To elect three Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions} Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 & F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 of Government of India (GOI) by passing the following resolution: -

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memoranda of GOI, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2016 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2019)"

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 03-06-2016

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरणी और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 21 जुलाई 2016 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण:

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में दिनांक 26 जुलाई 2016 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।

5. उपस्थिति पर्ची:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital and Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below..

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 21st July, 2016.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 21st July, 2016..

4. REGISTRATION:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on Tuesday, the 26th July, 2016. at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state

प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक / प्रॉक्सीधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

कार्वी सेलोनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32

गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकुरामगुडा

हैदराबाद- 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित/पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

7. बहियों को बंद करना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु शनिवार, 16 जुलाई 2016 से मंगलवार 26 जुलाई 2016 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखा जाएगा।

8. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD – 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 16th July, 2016. to Tuesday, the 26th July, 2016. (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पुनर्मूल्यांकन / डूब्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के hosecretarial@canarabank.com साथ में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। बैंक 21 अगस्त, 2016 को कथित निधि में अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2008-09 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है।

10. वार्षिक रिपोर्ट

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोडेड है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं।

11. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

12. ई-वोटिंग : {सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2008-09 to 2014-15, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2008-09 to the said fund on 21st August, 2016.

10. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

12. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items

में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

13. बैठक में मतदान

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे। इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा। अपराह्न 1.30 बजे तक मतदान जारी रहेगा एवं मतदान के नतीजों के बाद अध्यक्ष बैठक को समाप्त घोषित करेंगे। ई-वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

{नोट: (i) नोटिस में एजेन्डा मद 1 व 2 हेतु कट-ऑफ / विनिर्दिष्ट तिथि 19.07.2016 है एवं (ii) एजेन्डा मद 3 हेतु आंतरिक कट-ऑफ तिथि 24.06.2016 है}

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. प्राथमिक रूप से दीर्घावधि संसाधनों को संवर्धित करने हेतु एवं लगभग 12% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अनुरक्षित रखने हेतु नवम्बर 2002 में बैंक ने सफलतापूर्वक अपना आईपीओ पूरा किया है एवं ₹25 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 के प्रत्येक 11 करोड़ के ईक्विटी शेयर के निर्गमन द्वारा ₹385 करोड़ जुटाया है।
2. मार्च, 2011 के दौरान बैंक ने अपने पूंजी आधार को संवर्धित करने एवं भविष्य के कारोबार प्रगति को वित्तपोषित करने के लिये सफलतापूर्वक प्रति शेयर ₹594 के प्रीमियम पर ₹10/- के 3.30 करोड़ ईक्विटी शेयर के निर्गमन द्वारा क्यूआईपी मार्ग के माध्यम से ₹1993.20 करोड़ जुटाया है। इस क्यूआईपी निर्गमन के पश्चात बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹443 करोड़ रहा।
3. दिसम्बर, 2013 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹263.84 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 1,82,58,837 ईक्विटी शेयर जारी/आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹461.26 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है।
4. मार्च, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹398.95 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 1,39,38,134 ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹475.20 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।

mentioned in the notice. A separate communication/ Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. POLL AT THE MEETING:

After all the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. Poll will continue up to 1.30PM and after conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

{Note: (i) For Agenda Items 1 and 2 in the notice, the cut-off / specified date is 19.07.2016 and (ii) For Agenda Item 3, the internal cut-off date is 24.06.2016}

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

1. In November 2002, the Bank successfully completed its IPO and raised ₹ 385 Crores by the issue of 11 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹25 per share, primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 12 per cent.
2. During March, 2011, the Bank successfully raised ₹1993.20 Crores through QIP route by the issue of 3.30 Crore equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹594 per share to shore up its capital base and to fund future business growth. After this QIP issue, the Equity Capital of the Bank stood at ₹ 443 Crore.
3. During December, 2013, the Bank had issued / allotted 1,82,58,837 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 263.84 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹461.26 Crore.
4. During March, 2015, the Bank had issued / allotted 1,39,38,134 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹398.95 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹475.20 Crore.

5. मई, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹370.08 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 4.00 करोड़ ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹515.20 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।
6. सितम्बर, 2015 के दौरान बैंक ने अधिमानी तौर पर भारत सरकार को ₹330.72 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- का 2,77,94,083 ईक्विटी शेयर निर्गत / आबंटित किया है। इसके साथ ही, बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹542.99 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है।
7. 31 मार्च, 2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.08% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। यद्यपि, बैंक के कुछ विस्तारण योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन व अनुवर्ती पूंजी प्रभार के परिदृश्य में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने हेतु पूंजी को संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं है।
8. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यद्यपि, केन्द्र सरकार किसी भी समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।
9. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पासित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।
10. संकल्प, बैंक को जन इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा. रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा।
5. During May, 2015, the Bank had issued / allotted 4.00 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹370.08 per share to the Life Insurance Corporation of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹515.20 Crore.
6. During September, 2015, the Bank had issued/ allotted 2,77,94,083 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 330.72 per share to the Government of India on Preferential Basis. With this, the Equity Capital of the Bank reached a level of ₹542.99 Crore.
7. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2016 is 11.08 %, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
8. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.
9. The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
10. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

11. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

12. क्यूआईपी व क्यूआईबी सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूंजी उगाही हेतु बैंक के 13वें वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान सामान्य इकाई का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशानिर्देशों अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु संकल्प की वैधता एक वर्ष तक ही होगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त पैरा 7 में इंगित अनुसार) सामान्य इकाई के अनुमोदन की पुनः मांग की गई है।

13. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी।

14. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा।

15. उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।

16. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी संबंधों में समगति में है।

11. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

12. The approval of the General Body at the 13th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including QIPs with QIBs was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs. Keeping in view the future requirements (as denoted in para 7 above), the approval of the General Body is sought once again.

13. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

14. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

15. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

16. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित अनुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपरोक्त उल्लिखित संकल्प में कोई रुचि या जुड़ाव नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के, यदि है तो।

नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 11वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2013 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2016 को समाप्त हो रही है।

तथापि, निर्वाचित एक निदेशक ने भारत सरकार के शेयरधारण में संवृद्धि एवं सार्वजनिक शेयरधारण 32% के स्तर से कम होने के कारण 31.12.2013 को पदत्याग दिया है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार यदि जनता को जारी की गई प्रदत्त पूँजी 32% से ज्यादा है तो, शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को निर्वाचित किया जाना है, जो भारत सरकार के अलावा उनमें से ही होंगे। वर्ष 2015-16 में भारतीय जीवन बीमा निगम को किये गये अधिमानी आबंटन के अनुसार शेयर के जारीकरण के अनुवर्ती, जनता द्वारा धारित बैंक की प्रदत्त पूँजी 33.70% हो गई है और तदनुसार शेयरधारक बैंक के तीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अर्ह है।

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के चौदहवीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों को चुनने के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है।

समझा जाएगा कि ऐसे निर्वाचित निदेशक ने 27 जुलाई, 2016 को कार्यग्रहण कर लिया है और ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक अधिकार में रहेगा।

विधिक प्रावधान :

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिये गये हैं:

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

The Bank, as part of the Eleventh Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for three Shareholder Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and three candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2013 and the said term is expiring on 26.07.2016.

However, one of the Directors elected, had demitted his office on 31.12.2013, due to increase in the shareholdings of Government of India and reduction of public shareholdings below the level of 32 %.

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 32 %, three (3) Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves. Consequent to the issue of shares pursuant to the Preferential Allotment made to LIC of India in 2015-16, the paid-up capital held by Public has gone up to 33.70 % and accordingly the shareholders are entitled to elect 3 Directors of the Bank.

In line with Section 9 (3) (i) of the Act, the Bank has as a part of Fourteenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, decided to conduct the election of three Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2016 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

LEGAL PROVISIONS :

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:



अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20 धारा 5 (एनई)	किसी निदेशकों को या किसी निदेशकों की ओर से ऋण व अग्रिमों की मंजूरी के लिए सामान्य निदेशक प्रतिबंध का निषेध पर्याप्त हित
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(र) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ई) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो टैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरा नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को होगा। सत्य के रूप में निष्ठा व गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना निदेशक के पद को रिक्रिया किया जाना निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्तियों को भरना अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
केनरा बैंक (शेयर व अंतरण) विनियम, 2000 (यथा संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग आम बैठकों में मतदान आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक शेयरधारकों की सूची निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामांकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन विवाद
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश)		पूर्ण पारदर्शिता व जनहित में बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य उन्मोचित करने हेतु शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिये अभ्यर्थी की "उचित व सही" निर्धारण करते समय अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011 व दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भी ध्यान में रखा जाना है।
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015		विनियमन 44(1) - सूचीबद्ध इकाई सभी शेयरधारकों के संकल्प के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध करायेंगा।
19.03.2015 को संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबन्धन व प्रशासन) नियम, 2014		नियम 20 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु प्रक्रिया को प्रगणित करता है। नियम 20(ii) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु पात्रता निर्धारण के लिये या पोल के माध्यम से सामान्य बैठक में कट-ऑफ तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) वह तिथि होगी जो सामान्य बैठक से 7 दिन से पहले न हो।

ACT, SCHEME, REGULATIONS, NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 5(ne)	Prohibition of Common Director Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors Substantial Interest
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of vacancy in the office of an elected director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (as amended)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies
RBI Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/ 29/39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of nationalized banks
Office Memorandum ref no. F. No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on Appointment of Part-time Non-Official Directors on the Boards of the Banks.		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated 01.06.2011 and dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) regarding appointment of Part-Time Non-Official Director also to be kept in mind while carrying out determination of "Fit and Proper" status of the Candidates.
SEBI (LODR) Regulations, 2015		Regulation 44(1) – the listed entity shall provide the facility of Remote e-Voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders resolutions.
The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended on 19.03.2015		Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20(ii), cut-off date (specified date) for determining the eligibility to vote by electronic means or the in the General Meeting through POLL shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.

संबद्ध अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं आदि के उद्धरण

शेयरधारकों के सुविधार्थ संबंध अधिनियमों, योजनाओं, विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार का मौजूदा दिशानिर्देश) के उद्धरण इस नोटिस के अंत में पुनः दिया गया है। ऐसे उद्धरण बैंक के सचिवीय प्रभाग को प्रत्याशियों से नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को या उसके पहले, अर्थात् 11 जुलाई 2016 तक अनुरोध की प्राप्ति पर ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता :

क. अधिनियम की धारा 9(3-ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है को:

- क) निम्न विषयों में से एक या अधिक में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हों ; या

ग) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

ख. अधिनियम की धारा (3-ए ए) की उपधारा (3 ए) के प्रावधानों की पूर्वाधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विरुद्ध होने वाले से कोई संबंध नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार कोई अन्य मानकों के आधार पर कोई व्यक्ति योग्य

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India are reproduced at the end this Notice / and also posted on the bank's website www.canarabank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Secretarial Department of the Bank, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 11th July, 2016.

QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :

a) In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small-scale industry
 - any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

b) In terms of Section (3-AA) of the Act, without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he

और उचित हैसियत वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी।

ग. अधिनियम की धारा (3-ए बी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3ए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है।

घ. आगे, निर्वाचित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिये एवं इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना :

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराया जाएगा

क. यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसके लेन दारों को चुकता नहीं किया हो या

ख. उसे विक्षुब्धमान पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो

ग. यदि उसे नैतिक उल्लंघन के अंतर्गत किसी अपराध के तहत अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गया हो।

घ. बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धरने को छोड़कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभदायक अधिकार में हो

और

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना- डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित व वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.

is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

c) In terms of Section (3-AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the 'fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

d) Further, the elected directors should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or

d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95 / 29.39.001 / 2010-11 dated

सं.16/83/2013-बीओ-आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ-आई, दिनांकित 28.04.2015 (भारत सरकार का मौजूदा दिशानिर्देश) के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा उसे योग्य और उचित नहीं पाया गया

शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची मंगलवार, 5 जुलाई 2016 से लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी ताकि बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर (रविवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर), अर्थात् सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 तक (द्वितीय व चौथे शनिवार के अलावा) निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक को रजिस्टर की प्रति या रजिस्टर के हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता है तो प्रति 1000 शब्द या उसके हिस्से के लिए ₹5/- के पूर्वभुगतान पर आपूर्त किया जाएगा।

चुनाव में प्रतिभागिता / आंतरिक कट-ऑफ तिथि :

तिथि पर कारोबार समय के समापन पर यथा, शुक्रवार, 24 जून 2016 (आगे आंतरिक कट-ऑफ तिथि लिखा जाएगा) के एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा दिये गये अनुसार सदस्यों / लाभार्थी स्वामी के शेयरधारकों के रजिस्टर / रजिस्टर पर प्रदर्शित नाम वाले शेयरधारक चुनाव में प्रतिभागिता, अर्थात् नामांकन करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तथा केन्द्र सरकार के अलावा तीन निदेशकों को चुनने के लिए मतदान देने के लिए पात्र होंगे।

कट-ऑफ तिथि / ई-मतदान हेतु निर्दिष्ट तिथि

कंपनी (प्रबन्धन व प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 अनुसार कट-ऑफ तिथि (निर्दिष्ट तिथि) यथा, मंगलवार, 19 जुलाई 2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के अलावा रिमोट ई-मतदान / एजेंडा मदों पर पोल के माध्यम से हेतु उसके / उसकी द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा।

{नोट: (i) नोटिस में एजेंडा मद 1 व 2 हेतु कट-ऑफ तिथि / निर्दिष्ट तिथि 19.07.2016 होगी एवं (ii) एजेंडा मद 3 हेतु आंतरिक कट-ऑफ तिथि 24.06.2016 होगी।}

23rd May, 2011 read with Office Memorandum ref no. F. No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Tuesday, the 5th July, 2016 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e., Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (except 2nd and 4th Saturdays). If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

PARTICIPATION IN ELECTION/INTERNAL CUT-OFF DATE:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours on the date i.e., Friday, the 24th June, 2016 (hereinafter referred to as the Internal Cut-Off Date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in election of three directors from amongst Shareholders other than Central Government.

CUT-OFF DATE / SPECIFIED DATE FOR e-VOTING:

As per the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the Cut-Off Date (Specified Date) i.e., Tuesday, 19th July, 2016, shall have one vote for each share held by him/her for exercising through Remote e-Voting / Poll on agenda items other than election of Shareholder Directors at the Annual General Meeting.

{Note: (i) For Agenda Items 1 and 2 in the notice, the cut-off / specified date is 19.07.2016 and (ii) For Agenda Item 3 the internal cut-off date is 24.06.2016}

चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

- क) चुनाव में भाग की गणना करने लेने के लिए आंतरिक कट-ऑफ तिथि / चुनाव में भाग लेने के लिए गणना की जा रही तारीख मंगलवार, 26 जुलाई को केनरा बैंक के 100 शेयर नहीं रखता हो।
- ख) उसे अधिनियम या योजना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख सोमवार, 11 जुलाई 2016 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।
- ग) निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्ते कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति महा प्रबंधक, केनरा बैंक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बंगलूर-560 002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा।
- घ) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी की वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो-डाटा), उसकी जानकारी और विश्वास के हद तक सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बारे में बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।
- ङ) उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएं डीबीओडी सं.बीसी सं.46/29.39.001/ 2007-08, दिनांक

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

- a) contestant is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Friday, the 24th June, 2016, being the Internal Cut-Off Date/Date of reckoning for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting i.e., Tuesday, 26th July, 2016.
- b) contestant is as on Monday, the 11th July, 2016, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme / Regulation or RBI Notification;
- c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the Deputy General Manager, Canara Bank, MD&CEO's Secretariat, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru – 560002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- d) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations/ RBI Notification or GOI guidelines from being a Director. His/her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) contestant is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No.

01.11.2007 व डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 16/83/2013-बीओ-आई दिनांक 03.09.2013 व पत्र एफ.सं. 16/51/2012-बीओ-आई दिनांक 28.04.2015 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों) के अधीन उसे निदेशक रहने से अयोग्य नहीं किया गया।

च) प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिये अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ।

छ) प्रत्याशी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

ज) प्रत्याशी के पास उसके स्वयं के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।

झ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक नहीं होना चाहिये।

ञ) प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत निरंतर या मध्यस्थ रूप से 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिये।

नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण :

केंद्र सरकार से अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक शेयरधारकों को अपने नामांकन पत्र (न्यूनतम 100) घोषणा और संबंधित दस्तावेज जैसे बायोडाटा, योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, पैन की प्रति, नवीनतम आय कर विवरणी आदि के साथ

उप महा प्रबंधक

सचिवीय प्रभाग

प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. का सचिवालय

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,

112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के पहले कम से कम 14 दिनों के पहले अर्थात् सोमवार को सायं 5.00 बजे 11 जुलाई 2016 को बैंक कार्य समय के समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्रारूप में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007 and DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11, dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India, Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, from being a director.

f) contestant should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT;

g) The age of the contestant should not be more than 67 years;

h) contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.

i) Contestant should not be already a Director on any other Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category.

j) contestant should not have served as a Director on the Board of any other Bank /FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, qualification certificates, experience certificates, copy of PAN, latest Income Tax Return (all self attested) etc., to

Deputy General Manager

Secretarial Department,

MD&CEO's Secretariat

Canara Bank, Head Office,

112, J C Road, Bengaluru -560 002

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 5.00 p. m. on Monday, the 11th July, 2016. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

नामांकनों की समीक्षा :

- क) नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस मंगलवार को 12 जुलाई 2016, को उनकी समीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को विधिन्मान्य नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 2007 तथा 23 मई, 2011 को जारी संवीक्षा के योग्य व उचित मार्गनिर्देश के अनुसार और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में अनाधिकारिक निदेशकों के नामांकन के लिए सामान्य नीतियों के अनुसार नामांकनों की समीक्षा बोर्ड नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।
- ग) चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए तीन ही नामांकन हैं तो ऐसे नामांकित प्रत्याशियों को तत्काल चुना गया समझा जाएगा और तदनुसार उनके नाम और पते प्रकाशित किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा। यद्यपि, निर्वाचित शेयरधारक निदेशक केवल 27 जुलाई, 2016 को कार्यालय सभालेगा।
- घ) चुनाव आयोजित की जानी वाली स्थिति में चुने जाने वाले निदेशों की संख्या की तुलना में विधिमान्य अधिक हैं तो बहुमत प्राप्त होने वाले प्रत्याशी चुना गया समझा जायेगा और उनके नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- ङ) ऐसे चुने गये निदेशकों के बारे में समझा जायेगा कि उन्होंने 27 जुलाई, 2016 को कार्यग्रहण कर लिया है।
- च) कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटा दिया जायेगा।

निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के परिणाम स्वरूप चुना गया निदेशक तीन वर्षों के लिए पद का धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करता हो।

उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3 बी) की ओर शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Tuesday, the 12th July, 2016 the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 01st November, 2007 and 23rd May, 2011 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time.
- c) If there are only three valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall be no election at the meeting. However, the elected shareholder directors shall assume office only on 27th July, 2016.
- d) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.
- e) The directors so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2016.
- f) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

नामांकनों का वापस लिया जाना:

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह शुक्रवार, सायं 5.00 बजे 22 जुलाई 2016 को बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों के सेवानिवृत्ति के तरीके

क) बैंक में गैर सरकारी धारण बैंक के प्रदत्त पूँजी के 16% व 32% से कम है तो बैंक बोर्ड में केवल एक / दो निदेशक को निर्वाचित करने के लिए अर्ह होंगे।

ख) योजना के खंड 4ए के अनुसार अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार किया जाता है तथा ऐसे शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से अन्य) द्वारा निर्वाचित निदेशक के तुल्य निदेशक सेवानिवृत्त होंगे और सेवानिवृत्ति का क्रम सबसे अधिक कार्यकाल समाप्त निदेशक से शुरू होगा;

बशर्ते कि, यदि दो या दो से अधिक निदेशक के कार्यकाल तुल्य है तो, उन निदेशकों में से अधिक आयुवाले निदेशक पहले सेवानिवृत्त होंगे।

निदेशकों के हित:

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त कारोबारी मदों में हित रखेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

रकेश शर्मा

रकेश शर्मा

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूर

तिथि : 03-06-2016

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on i.e., 5.00 p.m. on Friday, the 22nd July, 2016.

MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR :

- In the event of the non-governmental holding in the Bank reducing below 16 % & / 32% of the paid-up capital of the Bank, the Bank will be entitled to have only one / two Directors on the Board of the Bank.
- In terms of Clause 4A of the Scheme the number of excess director(s) shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By Order of the Board of Directors

रकेश शर्मा

RAKESH SHARMA

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 03-06-2016